7
जी0पी0एफ0

विषय सूची			
क्रं.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017	सं0 73/XXVII(7)7/2017 दिनांक : 26 मई, 2017	**225–239**
2	सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान प्रकरण (10 प्रतिशत) अभिदाताओं की सेवा निवृत्त के पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 68/ XXVII(28)/2015 दिनांक : 08 जुलाई, 2015	**240**
3	वर्ष 2013–14 की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची महालेखाकार की वेबसाइट से सीधे प्रिंट करने तथा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की जन्म तिथि के सत्यापन के सम्बन्ध में।	सं0 168/ XXVII(28)/2013 दिनांक : 06 सितम्बर, 2013	**241–242**
4	वर्ष 2013–14 की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची महालेखाकार की वेबसाईट से सीधे प्रिन्ट करने के संबंध में।	सं0 635/ XXVII(7)50(67)/2013 दिनांक : 30 जुलाई, 2013	**243–247**
5	अधिकारी/कार्मिकों के जी0पी0एफ0 से अग्रिम भुगतान तथा सेवानिवृत्त होने पर अन्तिम शेष से अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	सं0 108/ XXVII(28)/2013 दिनांक : 08 जुलाई, 2013	**248**

(२२५)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 73/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक २६ मई, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 104/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना संख्या– 73/XXVII(7)7/2017 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(२२७)

नियम–2 (ग) (तीन) का संशोधन।	3. मूल नियमावली के नियम–2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर–(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।	(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित भाई और बहन।
नियम–13(2)(तीन) का संशोधन।	4. मूल नियमावली के नियम–13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।
नियम–13(4)(एक) का संशोधन।	5. मूल नियमावली के नियम–13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
नियम–16 (1) (अ) का संशोधन।	6. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः

नियम–16 (1) (अ) (क) का संशोधन।	7. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
निम्नलिखित मामलों में: (एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और (दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु।
नियम–16(1)(ब) का संशोधन।	8. मूल नियमावली के नियम–16(1)(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपाहिया अथवा चौपाहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।

9. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–16(1)(स) का संशोधन	10. मूल नियमावली के नियम–16(1)(स) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करनेके पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्;
(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है; (ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये; (ड.) पैतृक गृह का पुनरूद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,	(क) भूमि/भवन/फ्लैट के क्रय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/मरम्मत/पुनरूद्धार के लिये अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये।
(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,	

नियम–17(1) का संशोधन।

11. मूल नियमावली के नियम–17(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उदेश्य जिसके	नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है: परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।	

12. मूल नियमावली के नियम 17 की टिप्पणी–1, टिप्पणी–2(क), टिप्पणी–2(ख), टिप्पणी–2(ग) व टिप्पणी–4 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम 19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–23 का संशोधन।	14. मूल नियमावली के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह ''घ'' के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा। (1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो– (क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रूपये, (दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो	सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा रू0 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।

जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रूपये या अधिक किन्तु 13, 500 रूपये से कम हो, के मामले में 27,000 रूपया, (तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रूपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रूपये से कम हो, के मामले में 12,000 रूपया, (चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये से कम हो, के मामले में 10,000 रूपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	
नियम–24 के उप नियम (4) व (5) का संशोधन।	15. मूल नियमावली के नियम–24 के उप नियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।
(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे	(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ

का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।
(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्रारूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी महालेखाकार द्वारा जारी अध्यावधिक जी0पी0एफ0 वार्षिक लेखा पर्ची से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

233

(नियम 24)

प्रारूप–425

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

_____

_____

_____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं। ..... मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुकी हूं और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मैं अनुरोध करता/करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या..... है तथा मेरा यूनिक इम्पलॉयमेंट कोड सख्या.....है।

3– मैं वचन देता/देती हूं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग–दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा/दूंगी।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

२३५

भाग– दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं.....मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मै अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उर्पयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतदद्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग–तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

.....
.....
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा मे विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये है:–

235

1– सरकारी सेवक का नाम.....

2– सरकारी सेवक द्वारा धृत पद.....

3– मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए).....

4– मृत अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या..... तथा यूनिक इम्पलायेमेंट कोड सख्या.....है।

5– अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:–

कम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5

6– अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो:–

कम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7– किसी अवयस्क की देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8– यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

कम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

9– भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/..... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:–

एक– वैयक्तिक पहचान के चिन्ह–

दो– बांये/दांये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशासन (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीन– नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

10– मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग–चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

(नामाकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो
उत्तरांचल देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी..... कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(237)

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1– श्री/श्रीमती..... का भविष्य निधि लेखा संख्या..... हैं।

2– वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी ..... मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/ उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया हैं, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3– .....रूपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रूपये की वसूली उसके वेतन से ....कोषागार के .....वाउचर संख्या.....दिनांक .....से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न .....रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)– अंतिम प्रत्याहरण–

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख)– अस्थायी अग्रिमः–

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5– दिनांक ..... (वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार .....रूपये (अंकों में) ..... रूपया (शब्दों में)..... है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत .....रूपया होता है।

6– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ... . रूपये (अंको में) .....रूपये शब्दों में जो अभिदाता की समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान ..... अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती है।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रू0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे.....रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से .....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई हे तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को.....रूपये (अंको में)..... .....रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8– अभिदाता की मृत्यु दिनांक .....को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9– परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित ..... को अग्रसारित।

दिनांक .....

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है, जो सही है

2– .....रूपये (अंकों में) ..... रूपये (शब्दों में) के

3– .....(स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक .....

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

239

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– .....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को .....
.....रूपये (अंकों में) .....रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2– शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापव की जाय।

दिनांक .....

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो कम संख्या 8 के विरूद्ध सूचना प्रस्तुत की

240

पत्र संख्याः– 60 /xxvii(28)/2015

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ, देहरादूनः दिनांकः 08 जुलाई, 2015

विषयः–सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान प्रकरण(10 प्रतिशत) अभिदाताओं की सेवा निवृत्त के पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पत्र संख्या निधि–1/ अ0भु0/140 दिनांकः 05 जून, 2015 (**प्रतिलिपि संलग्न**) के द्वारा अवगत कराया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान प्रकरण (10 प्रतिशत) अभिदाताओं की सेवा निवृत्त के बाद ही महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं जिसके कारण अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति के दिन सामान्य भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मात्र 05 प्रतिशत ही अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के पूर्व महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त हो पा रहे हैं।

इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि में अभिदान बन्द होने के साथ ही 90 प्रतिशत स्वीकृति के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को प्रेषित करें तथा 90 प्रतिशत की स्वीकृति तुरन्त बाद प्रकरण महालेखाकार को 10 प्रतिशत के प्राधिकार पत्र के लिए प्रेषित कर दिया जाय।

इसके साथ ही यह भी निर्देश देने का कष्ट करें कि 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन के पूर्व न किया जाय। सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की श्रेणी में 90 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत दानों ही भुगतान आते हैं। जहां तक सामान्य भविष्य निधि के प्रकरणों के मिलान का प्रश्न हे मिलान अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व भी कराया जा सकता है।

उपरोक्त आदेशों कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या–68/xxvii(28)/2015, तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

(२५)

महत्वपूर्ण

पत्र संख्याः 168/XXVII(28)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
2. समस्त वित्त नियंत्रक,

उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ, देहरादून, दिनांकः 06 सितम्बर, 2013

विषयः वर्ष 2013–14 की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची महालेखाकार की वेबसाइट से सीधे प्रिंट करने तथा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की जन्म तिथि के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 138/XXVII(28)/2013 दिनांकः 23 जुलाई, 2013 तथा महालेखाकार के पत्र संख्याः निधि–1/लेखा पर्ची–2013–14/365, दिनांक 22.08.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के कम में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा कार्मिकों को सा0भ0नि0 की लेखा पर्चियों उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें :–

1. अभिदाताओं की सामान्य भविष्य निधि की लेखा पर्ची न मिलने की शिकायत तथा विलम्ब से लेखा पर्ची मिलने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने यह निश्चय किया है कि वर्ष 2013–14 से लेखा पर्चियां अभिदाता सीधे महालेखाकार की वेबसाइट से पिंट कर प्राप्त करेंगे तथा पेपर लेखा पर्ची नहीं निर्गत की जायेगी। उपरोक्त पत्र के माध्यम से पूर्व में भी महालेखाकार की वेबसाइट से लेखा पर्ची प्रिंट करने की विधि बताई गई थी।
2. इलाहाबाद कार्यालय से स्थानांतरित पुराने अभिदाताओं की (कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा आबंटित लेखा संख्या) जन्मतिथि प्रमाणित नहीं है जिसके कारण अभिदाताओं को पिन नम्बर ज्ञात करने में असुविधा हो सकती है। अतः सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा आबंटित लेखा संख्या धारकों की जन्मतिथि, सेवा पुस्तिकाओं के आधार पर महालेखाकार उत्तराखण्ड के अभिलेखों में दर्ज करा लें जिससे अभिदाताओं को वेबसाइट से पिन नम्बर ज्ञात करने में कठिनाई ना हो।

3. यह संज्ञान में लाया गया है कि आहरण वितरण अधिकारी अन्तिम भुगतान प्रकरण अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के उपरान्त ही महालेखाकार को प्रेषित कर रहें हैं जबकि नियमानुसार सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व जी0पी0एफ0 में नियमित अभिदान बन्द होने के साथ ही अभिदाताओं के अन्तिम भुगतान प्रकरण तैयार कर महालेखाकार को प्रेषित कर दिये जाने चाहिए जिससे अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें जी0पी0एफ0 की समस्त धनराशि (90 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत) का चेक हस्तगत कराया जा सके। अतः अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व ही जी0पी0एफ0 के अन्तिम भुगतान प्रकरण पूर्ण दस्तावेजों के साथ महालेखाकार को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
संचिव।

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून को पत्र सं0: निधि–1/लेखा पर्ची– 2013–14/365, दिनांक 22.08.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(२५३)

संख्याः 635/ xxvii(7)50(67)/ 2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः३० जुलाई, 2013

विषयः– वर्ष 2013–14 की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची महालेखाकार की वेबसाईट से सीधे प्रिन्ट करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि सामान्य भविष्य निधि की लेखा पर्ची वर्ष 2013–14 से, अभिदाता सीधे महालेखाकार की वेबसाइट से प्रिन्ट कर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त महालेखाकार की वेबसाइट पर अभिदाता द्वारा मोबाईल नम्बर रजिस्टरर्ड कराने के बाद अभिदाता मोबाईल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भी जी0पी0एफ0 में शेष संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु अभिदाताओं को प्रशिक्षित भी किया जाय।

अतः उपरोक्त के संबंध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात कार्मिकों (अभिदाताओं) को वर्ष 2013–14 से वेबसाइट से सीधे प्रिन्ट प्राप्त करने की व्यवस्था से अवगत कराते हुए, समस्त कार्मिकों (अभिदाताओं) को प्रशिक्षित भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, वित्त

संख्याः 635/xxvii(7)50(67)/2013

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कोषागार/उप कोषागारों को प्रश्नगत विषय में निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनके स्तर से सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत कराने के साथ, प्रशिक्षण कार्य भी सुनिश्चित करें।

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव ।

सं0-635/XXVII(7)50(67)/13

(245)

पंजीकृत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), उत्तराखण्ड, देहरादून
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) Uttarakhand, Dehradun

सत्यमेव जयते

पत्र संख्याः निधि–1/लेखा पर्ची–2013–14/232
दिनांकः 04-07-2013

सेवा में,

श्री डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या 2408 /अ.स.वि.
दिनांक 19/7

विषयः वर्ष 2013–14 की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची महालेखाकार की वेबसाइट से सीधे प्रिंट करने विषयक।

महोदय/महोदया,

2320 /2013
दि0: 17/7/2013

अभिदाताओं की सामान्य भविष्य निधि की लेखा पर्ची न मिलने की शिकायत तथा विलम्ब से लेखा पर्ची मिलने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने यह निश्चय किया है कि वर्ष 2013–14 से लेखा पर्चियां अभिदाता सीधे महालेखाकार की वेवसाइट से प्रिंट कर प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया से सामान्य भविष्य निधि की वार्षिक लेखा बन्दी में लगने वाले समय की बचत होगी तथा अभिदाता अपनी इच्छानुसार अपनी लेखा पर्ची वेबसाइट से प्रिंट कर सकेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभिदाताओं को प्रशिक्षित करने का कष्ट करें कि महालेखाकार की "वेबसाइट पर सम्बन्धित स्क्रीन पर जी0पी0 एफ0 सिरीज, जी0पी0एफ0 लेखा संख्या तथा जन्म तिथि को तिथि, माह तथा वर्ष जैसे 01–JUN–1960 फार्मेट में भरने से पिन नम्बर प्राप्त होगा, इसके बाद पिन नम्बर के प्रयोग से जी0पी0एफ0 में शेष सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकेगें"। महालेखाकार की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराने के बाद अभिदाता मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भी जी0पी0एफ0 सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनुलग्नक में दी गयी विधि के अनुसार तथा वर्ष 2012–13 की लेखा पर्चियों के पृष्ठ भाग पर जो तुरन्त ही निर्गत की जा रही हैं, दी गयी विधि से अपना मोबाइल नम्बर महालेखाकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं (अनुलग्नक संलग्न)।

कृपया अपने स्तर से यह जानकारी स्पष्ट रूप प्रचारित करने का कष्ट करें कि वर्ष 2013–14 से पेपर लेखा पर्ची महालेखाकार कार्यालय से निर्गत नहीं होंगी। वर्ष 2013–14 या उसके बाद जी0पी0एफ0 सम्बन्धी सूचनाएं वेबसाइट तथा एस0एम0एस0 सेवा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकेंगी।

ASF (L)

17.7.2013

(डी. एस. गर्ब्याल)
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

उप महालेखाकार/निधि

ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून - 248171
Oberai Motors Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun - 248171
EPABX No.: 0135-2644967, फैक्स / Fax: 0135-2644965

6040

Annexure:

How to use on-line services ?

First go the PAG (A&E), UK website viz. www.agua.cag.gov.in. Then proceed as follows using the appropriate menus on the screen:

1. **GPF on-line Service:**

Step 1 : Go to on-line GPF Menu

Step 2 : Select GPF Series (ex: IRRIUA for Irrigation)

Step 3 : Enter your GPF number (ex: 41634)

Step 4 : Enter Personal Identification Number

(This PIN has already been sent to all DDOs. You can also get your PIN by entering your Date of birth in the format dd-mmm-yy e.g 01-Jun-60)

Step 5 : Enter the MD 5 encryption

2. **GPF Short Message Service:**

Step 1 : Go to Register SMS Service Menu

Step 2 : Select GPF Series (ex: IRRIUA for Irrigation)

Step 3 : Enter your GPF number (ex: 41634)

Step 4 : Enter your Mobile number (ex: 99925.....)

Step 5 : Click on Register

3. **GPF Pull Short Message Service:**

Step 1 : To know Current Status:

Type GPFUK<space>CURRENT<space>GPF Series and Number (Without any space)

Ex: GPFUK CURRENT IRRIU41634

Step 2 : To know Debit Status:

Type GPFUK<space>DEBIT<space>GPF Series and

Number (Without any space)

Ex: GPFUK DEBIT IRRIU41634

Step 3 : To know Missing Status:

Type GPFUK<space>MISSING<space>GPF Series and

Number (Without any space)

Ex: GPFUK MISSING IRRIU41634

Send your SMS to 09212357123

4. KNOW YOUR PIN NO.

1. Go to our official Website i.e. **www.agua.cag.gov.in**
2. Click on GPF Online at our Website's **Home page**
3. **Subscriber login** window will appear on the screen. **Click on Know Your PIN No.**
4. Now, **Know Your PIN No.** window will appear on the screen where your will get three drop down fields namely:-

a) GPF Series

b) GPF Number

c) Date of Birth in the format dd-mmm-yy e.g 01-Jun-60.

5. **Fill up the correct information** in the above three fields then **submit**. You would definitely get the requisite information regarding your PIN No. *otherwise*, **incorrect information** would give **INVALID ENTRY.**

(248)

पत्र संख्या– 108 / xxvii(28) / 2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादून :दिनांकः 08 जुलाई, 2013

विषयः अधिकारी / कार्मिकों के जी0पी0एफ0 से अग्रिम भुगतान तथा सेवानिवृत्त होने पर अन्तिम शेष के अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 82 / XXVII(1) / 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान हेतु अभिदाता की पासबुक छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस क्रम में शासनादेश सं0 300 / XXVII(1) / 2010 दिनांकः 03 जून, 2010 द्वारा निदेशित किया गया था कि सामान्य भविष्य निधि के अवशेष के 90 प्रतिशत के भुगतान आदेश अभिदाता की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व निर्गत कर दिये जाये तथा तुरन्त ही अवशेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु महालेखाकार को समस्त अभिलेख प्रेषित कर दिये जाये तथा यदि सेवानिवृत्ति की तिथि तक महालेखाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवानिवृत्ति की तिथि तक महालेखाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्व में अगणित 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।

परन्तु शासन के लगातार संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियें / अधिकारियों के सा0भ0नि0 के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु विलम्ब से प्रेषित किये जा रहे है तथा महालेखाकार से बिना पासबुक के मिलान के भुगतान किये जा रहे है जिससे ऋणात्मक भुगतान के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऋणात्मक भुगतान का मुख्य कारण यह है कि कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जी0पी0एफ0 अग्रिम की प्रविष्टियां पासबुक में नहीं की जा रही है। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

अनुरोध है कि विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अभिदाताओं के जी0पी0एफ0 से अग्रिम आहरण के समय पासबुक के सुसंगत स्थान पर प्रस्तावित अग्रिम भुगतान की प्रविष्टि करके पास बुक के दोनों पक्षों की सत्यापित छायाप्रति बिल के साथ संलग्न कर संबन्धित कोषागार को भेजें जाने हेतु निदेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव, वित्त